

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

2068

दिनांक 20-8-19

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अजमलराम पुत्र गुलाराम 2 जगदीश 3 नरेश पिसरान कुम्भाराम 4 गैरोदेवी पत्नी कुम्भाराम 5 शेराराम पुत्र गुलाराम 6 पपूदेवी पत्नी नथाराम जाति माली निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।

1 विशनाराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 2 भेराराम पुत्र हरखाराम 3 कंवराराम पुत्र जसाराम जाति जाट 4 टीलाराम पुत्र भेराराम जाति माली 5 हरिसिंह 6 जेतमालसिंह पिसरान सुजानसिंह 7 रावताराम पुत्र खेराजराम जाति राजपूत 8 वगताराम 9 नारणाराम पिसरान धनाराम जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 158/2019

दिनांक- 21.08.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुड़ला पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 454 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 605/412 रकबा 15.14 बीघा, खसरा संख्या 730/455 रकबा 10.00 बीघा व खसरा संख्या 735/391 रकबा 25.04 बीघा कुल रकबा 51.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/

2068-2072

दिनांक- 20.8.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुड़ला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अजमलराम पुत्र गुलाराम वगैराह जाति माली निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी विशनाराम पुत्र गंगाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर